न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(आर.सी.ढेनवाल,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 50/2018

श्री इन्द्रजीत सिंह प्लाट नं0 12 लाजवंती भवन सिविल लाईन पहाडिया टोंक राज0
——अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी टोंक जिला—टोंक
——प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 5.12.2018**

अपील अपीलाण्ट संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी टोक को दिनांक 24—9—2018 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आवेदन दिनांक 30—4—2018 एंव 16—7—2018 की प्रतियॉ आवेदन के साथ सेलग्न करते हुए उन पर की गई कार्यवाही की समस्त जानकारी मय पत्राधि प्राप्त करने हेतु निवेदन किया।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में उक्त सूचना प्राप्त नहीं होने पर अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी टोंक के विरूद्व अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी टोंक को पत्र क्रमांक 1475 दिनांक 15—11—2018 व 1512 दिनांक 22—11—2018 द्वारा जवाब भिजवाने हेतु निर्देशित करने पर लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी टोंक ने पत्र क्रमांक 7274 दिनांक 28—11—2018 से जवाब प्रेषित किया है कि आवेदक को पत्र क्रमांक 5421 दिनांक 22—10—2018 से सूचित किया है कि सूचना से सम्बन्धित प्रतिलिपयॉ प्राप्त करने हेतु नियमानुसार लेखा शाखा में निर्धारित शुल्क जमा करवाकर प्रतिलिपियॉ प्राप्त करें। पत्र में यह स्पष्ट अंकित नहीं किया है कि सूचना के कितने पृष्ठ है तथा कितनी राशि जमा करवाई जावे। भविष्य में सूचना प्राप्त करने हेतु स्पष्ट पत्र लिखते हुए रजि0 डाक से आवेदक को सूचित किया जावे।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(आर.सी.ढेनवाल)
जिला कलेक्टर एंव
प्रथम अपील अधिकारी टोंक